अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध/ई-मेल/फैक्स

संख्या-46/2017/2407 ई-2/तेरह-2017-65/2013

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 सितम्बर,2017

विषयः-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11-7-2017 तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दि0 28-8-2017 के दृष्टिगत म्यूनिसिपल क्षेत्रों में आबकारी दुकानों का संचालन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-32 ई-2/तेरह-206-65/2013, दिनांक 06 जनवरी,2017 तथा अपने पत्र संख्या-जी-225/दस-लाइसेंस-303/खण्ड-6/राष्ट्रीय राजमार्ग/ आब0दुकान/2016-17, दिनांक 23 सितम्बर,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों पर मदिरा की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने विषयक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-12164-12166/2016 में दिनांक 15-12-2016 को पारित आदेश के क्रम में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) संख्या-10243/2017 एराइव सेफ सोसाइटी आफ चण्डीगढ़ बनाम यूनियन टेरिटरी आफ चण्डीगढ़ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11-7-2017 को आदेश पारित किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11-7-2017 को दिये गये निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

7- The purpose of the directions contained in the order dated 15 December,2016 is to deal with the sale of liquor along and in proximity of highways properly understood, which provide connectivity between cities, towns and villages. The order does not prohibit licensed establishments within municipal areas. This clarification shall govern other municipal areas as well. We

have considered it appropriate to issue this clarification to set at rest any ambiguity and to obviate repeated recourse to IAs, before the Court.

3- विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) संख्या-10243/2017 एराइव सेफ सोसाइटी आफ चण्डीगढ़ बनाम यूनियन टेरिटरी आफ चण्डीगढ़ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-2017 के प्रस्तर-7 के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 28-8-2017 द्वारा जनपद लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में राज्य राजमार्ग संख्या-25 पर स्थित माडल शाप को संचालित कराने के सम्बन्ध में योजित रिट याचिका संख्या-6234(एमबी)/2017 पुनीत रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को स्वीकार **(Allow)** करते हुये जनपद लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में स्थित माडल शाप को हटाये जाने की नोटिस को अपास्त कर दिया गया है।

4- इस प्रकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11-7-2017 में यह स्पष्ट किया गया है कि सिविल अपील संख्या-12164-12166/2016 में पारित उनका पूर्व आदेश दिनांक 15-12-2016 म्युनिसिपल एरियाज में आबकारी अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन को प्रतिबंधित नहीं करता है, जिसके आधार पर आदेश दिनांक 28-8-2017 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ ने जनपद लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में स्थित माडल शाप को हटाये जाने की नोटिस को अपास्त कर दिया गया है। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के दृष्टिगत नगर निकायों में आबकारी अनुज्ञापन व्यवस्थित करने में अब कोई प्रतिबंध नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-10243/2017 एराइव सेफ सोसाइटी आफ चण्डीगढ़ बनाम यूनियन टेरिटरी आफ चण्डीगढ़ व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-7-2017 तथा रिट याचिका संख्या-6234(एमबी)/2017 पुनीत रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-8-2017 के दृष्टिगत व्यापक राजस्वहित में प्रदेश के म्युनिसिपल क्षेत्रों में आबकारी अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/दुकानों के संचालन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-46/2017/2407(1)ई-2/तेरह-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(सुहास एल0वाई0)
विशेष सचिव।